राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 सेवायें, राज0 जयपुर

क्रमांकः– नर्सिंग / पैरामेडिकल / (सीधी भर्ती 2013) / 2015 / 401 दिनांकः– 05/10/2015

आदेश

निदेशालय द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांकः नर्सिंग / (सीधी भर्ती–2013) / 2013 / 23 दिनांक 26 / 02 / 2013 के द्वारा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित नियम में उल्लेखित योग्यताधारी अभ्यर्थियाओं से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे। विज्ञप्ति मे उल्लेखित शर्तो के आधार पर ऑनलाईन आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियाओं को कॉउन्सिलिंग हेतु आमंत्रित किया गया। कॉउन्सिलिंग में उपस्थित समस्त अभ्यर्थियाओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र की हार्ड कॉपी के साथ संलग्न दस्तावेजों की छाया प्रतियों का मिलान उनके मूल दस्तावेजों से किया गया। कॉउन्सिलिंग के दौरान अनुपस्थित रहे सभी अभ्यर्थियाओं को एक अवसर ओर प्रदान किया गया।

उक्त विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तो के अध्यधीन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद की भर्ती सम्बन्धि कार्यवाही किये जाने हेतु प्रमुख शासन सचिव महोदय के आदेश कमांक – निस / पीएचएस / चिस्वा / 515 / 20 दिनांक 05.02.2015 के द्वारा उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपने पत्र संख्या प.5 (4) चिस्वा / ग्रुप–3 / 2015 दिनांक 29.09.2015 के द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्रों, अभ्यर्थियाओं द्वारा काउन्सिलिंग में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं दिनांक 22.03.2015 को जारी प्रोविजनल मेरिट सूची एवं दिनांक 03.04.2015 को जारी काउन्सिलिंग के डाटा के संदर्भ में प्राप्त परिवेदनाओं / आपत्तियों का निराकरण करने के पश्चात महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर चयन हेतु वरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु योग्य अभ्यर्थियाओं की संशोधित अंतरिम (प्रोविजनल) सूची एवं विभिन्न कारणों से अपात्र अभ्यर्थियों की सूची प्रस्तुत की है।

यह संशोधित अंतरिम (प्रोविजनल) सूची निम्न मापदण्डों के आधार पर तैयार की गई है :–

1. **जन्म तिथिः–**

जन्म तिथि के प्रमाण के संबंध में एएनएम के पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (10वीं अथवा समकक्ष) में उल्लेखित जन्म तिथि को ही आधार माना गया है, किन्तु कई शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा 10वीं कक्षा की अंक तालिका में जन्म तिथि का अंकन नही किया गया है, ऐसी स्थिति में जिन अभ्यर्थियाओं द्वारा जन्म तिथि के संबंध में कोई सरकारी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है उन्हें जन्म तिथि के संबंध में सरकारी दस्तावेज प्रस्तुत करने की शर्त के आधार पर संशोधित अंतरिम (प्रोविजनल) सूची में सम्मिलित किया गया है।

2. **आयुः–**

(A) आयु की गणना दिनांक 01.01.2014 को आधार मानकर की गई जिसमें आरक्षित वर्ग (एससी, एसटी, ओबीसी, एससी (टीएसपी), एसटी (टीएसपी), निःशक्तजन, उत्कृष्ट खिलाडी) के अभ्यार्थीयाओं को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में शिथिलता प्रदान की गई।

(B) विधवा एवं विवाह विच्छिन्न (तलाकशुदा) वर्ग की अभ्यर्थियाओं के लिए कोई आयु सीमा नहीं है।

3. **आरक्षणः–**

(A) आरक्षित वर्ग की सभी अभ्यर्थियाओं को (एसटी– 12 प्रतिशत, एससी– 16 प्रतिशत, ओबीसी– 21 प्रतिशत एवं एसबीसी वर्ग के अभ्यर्थियाओं को 1 प्रतिशत) आरक्षण दिया गया है।

(B) एससी (टीएसपी) एवं एसटी (टीएसपी) वर्ग की अभ्यर्थियाओं को नियमानुसार आरक्षण प्रदान किया गया है।

(C) टीएसपी क्षेत्र के निवासी अनारक्षित (सामान्य / ओबीसी) वर्ग के अभ्यर्थियाओं द्वारा परिवेदना / ज्ञापन के माध्यम से आरक्षण दिए जाने की मांग की गई है। इस संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 16.06.2013 के द्वारा टीएसपी क्षेत्र के निवासी सामान्य अभ्यर्थियाओं को आरक्षण का लाभ दिया गया है। किन्तु उक्त परिपत्र निदेशालय द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 26.02.13 के बाद का होने के कारण इस विज्ञप्ति पर लागू नहीं किया गया है।

(D) नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 19.08.2015 में लिये गये निर्णयानुसार आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियाओं को दिया गया है जिनका जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से जारी किया हुआ है। जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से जारी नहीं होने की स्थिति में उन्हें कार्मिक विभाग के परिपत्र के आधार पर सामान्य वर्ग की अभ्यर्थी मानकर विचार किया गया है।

(E) जिन अभ्यर्थियाओं द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्रो में पिता एवं पति दोनो के नाम अंकित है उन्हें सामान्य वर्ग की अभ्यर्थीया मानते हुए विचार किया गया है।

(F) जिन अभ्यर्थियाओं ने राजस्थान से बाहर अन्य राज्यों द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है उन्हें सामान्य वर्ग की अभ्यर्थीया मानते हुए विचार किया गया है।

(G) माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय की पालना में धौलपुर एवं भरतपुर क्षेत्र के निवासी जाट समुदाय को ओबीसी वर्ग का आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।

(H) ओबीसी/एसबीसी वर्ग के अभ्यार्थीयों को नवीनतम जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त के अध्यधीन ओबीसी/एसबीसी वर्ग में सम्मिलित किया गया है।

(I) जिन अभ्यर्थियाओं द्वारा विधवा वर्ग में आवेदन किया है, किन्तु उनके द्वारा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा मृतक की पत्नि होने के संबंध में कोई सरकारी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, ऐसी अभ्यर्थियाओं द्वारा मृतक की पत्नि होने संबंधी सरकारी साक्ष्य प्रस्तुत करने की शर्त के आधार पर ही विधवा वर्ग के लिए आरक्षित पदों के विरूद्ध संशोधित अंतरिम (प्रोविजनल) सूची में सम्मिलित किया गया है।

(J) जिन अभ्यर्थियाओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन में आरक्षित वर्ग (एससी/एसटी/ओबीसी/एसबीसी/एससी–टीएसपी/एसटी–टीएसपी/सहरिया) का उल्लेख किया है लेकिन जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है, ऐसे अभ्यर्थियाओं द्वारा संबंधित आरक्षित वर्ग का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने की शर्त के आधार पर ही संशोधित अंतरिम (प्रोविजनल) सूची में सम्मिलित किया गया है।

4. **शैक्षणिक योग्यता :–**

(A) जिन अभ्यर्थियाओं द्वारा हरियाणा बोर्ड से जारी शैक्षणिक योग्यता (10वीं कक्षा) की अंकतालिकाऐं प्रस्तुत की है, उनमें से कुछ अंकतालिकाओं में छः विषयों का उल्लेख है एवं कुछ अंकतालिकाओं में पाँच विषयों का ही उल्लेख है। छः विषयों की अंकतालिकाओं (जिसमें प्रत्येक विषय के पूर्णांक 100 माने गए है) में हरियाणा बोर्ड द्वारा Best Five विषय के अंको को ही जोडा गया है। इस संशोधित अंतरिम (प्रोविजनल) सूची तैयार करने की प्रकिया में Best Five विषय के पूर्णांकों एवं प्राप्तांको को ही आधार मानते हुए विचार किया गया है।

(B) जिन अभ्यर्थियाओं नें ADEEB and ADEEB-e-MAHIR Jamia द्वारा जारी शैक्षणिक योग्यता की अंकतालिका प्रस्तुत की है, उन्हें उक्त संस्था को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता नहीं होने के कारण संशोधित अंतरिम (प्रोविजनल) सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(C) यह संशोधित अंतरिम (प्रोविजनल) सूची ADEEB and ADEEB-e-MAHIR Jamia द्वारा जारी शैक्षणिक योग्यता की मान्यता के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर याचिका संख्या 13731/2014 एवं अन्य विचाराधीन याचिकाओं के निर्णयों के अध्यधीन तैयार कर प्रकाशित की जा रही है।

(D) कॉउन्सिलिंग में अभ्यर्थियाओं द्वारा विभिन्न राज्यों के विभिन्न प्रकार की शैक्षिणिक संस्थाओं अथवा बोर्डस द्वारा जारी अंकतालिकाऐं प्रस्तुत की गई है। जिनकी मान्यता के संबंध में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका में उल्लेखितानुसार जाँच की गई है।

5. **व्यावसायिक योग्यता :–**

(A) प्रमुख शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 27.05.2015 में लिए गए निर्णयानुसार शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता जिन अभ्यर्थियाओं द्वारा पूरक परीक्षा के माध्यम से उत्तीण की है उनके पूरक परीक्षा विषय में न्यूनतम अंक ही प्राप्तांक मानते हुए संशोधित अंतरिम (प्रोविजनल) सूची में सम्मिलित किया गया है।

(B) कुछ अभ्यर्थियाओं द्वारा पीएनआरसी (Punjab Nursing Registration Council) द्वारा जारी अंकतालिकाएं प्रस्तुत की है जिसमें अभ्यर्थीयों के Reappear होने की स्थिति में पूरक मानते हुए पूर्णांको का 50 प्रतिशत ही जोडकर संशोधित अंतरिम (प्रोविजनल) सूची बनाई गई है।

(C) जिन अभ्यर्थियाओं ने सीबीएसई से एएनएम प्रशिक्षण उत्तीर्ण होने की अंकतालिका प्रस्तुत की है उनकी अंकतालिका द्वितीय वर्ष की होने के कारण एएनएम प्रशिक्षण के प्रथम वर्ष (स्कूलिंग) की अंकतालिका के प्राप्तांको के प्रतिशत का आंकलन दोनों अंकतालिकाओं के आधार पर किया गया है एवं जिन अभ्यर्थियाओं ने केवल सीबीएसई द्वारा जारी अंकतालिका ही प्रस्तुत की है जिसमें प्रथम वर्ष स्कूलिंग प्रशिक्षण का नाम अंकित नहीं होकर स्वंयपाठी अंकित है उनके प्राप्तांको के प्रतिशत का आंकलन सीबीएसई की अंकतालिका के आधार पर किया जाकर संशोधित अंतरिम (प्रोविजनल) में सम्मिलित किया गया है।

(D) जिन अभ्यर्थियाओं द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण की द्वितीय वर्ष की परीक्षा के पश्चात् प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की है ऐसे अभ्यर्थियाओं को पूरक मानते हुए अंको का निर्धारण किया गया है।

(E) जिन अभ्यर्थियाओं द्वारा व्यावसायिक परीक्षा प्रथम वर्ष उत्तीर्ण करने के पश्चात् द्वितीय वर्ष काफी अंतराल के बाद उत्तीर्ण की है ऐसी स्थिति में उनके पूर्ण प्राप्तांको को ही संशोधित अंतरिम (प्रोविजनल) सूची में सम्मिलित किए जाने का आधार माना गया है।

(F) जिन अभ्यर्थियाओं द्वारा पैरामेडिकल कौन्सिल राजस्थान, देवली द्वारा रजिस्टर्ड होने पर एएनएम के पद हेतु आवेदन किया है जिनका आरएनसी में रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण संशोधित अंतरिम (प्रोविजनल) सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(G) यदि कोई अभ्यर्थी Internal अथवा External एवं Theory अथवा Practical में से किसी एक में पूरक होने की स्थिति में संपूर्ण विषय को एक यूनिट मानते हुए न्यूनतम प्राप्तांको को ही जोडा गया है।

(H) COMMISSIONERATE OF FAMILY WELFARE ANDHRA PRADESH, HYDERABAD की अंकतालिका में Compart Pass लिखा है, परन्तु किसी भी पेपर पर स्टार(*) नहीं लगा है, उस स्थिति में सभी विषयों में पूरक मानते हुए सभी विषयों में Minimum Marks के आधार पर प्रतिशत का आंकलन किया गया है।

(I) जिन अभ्यर्थियाओं द्वारा एएनएम प्रशिक्षण की एक ही वर्ष (प्रथम अथवा द्वितीय वर्ष) में उत्तीर्ण होने की अंकतालिका प्रस्तुत की है उनके द्वारा वांछित वर्ष की अंकतालिका प्रस्तुत करने की शर्त पर ही संशोधित अंतरिम (प्रोविजनल) सूची में सम्मिलित किया गया है।

6. आरएनसी पंजीयन–

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित नियमों में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) का राजस्थान नर्सिंग कॉउन्सिल में पंजीयन होना अनिवार्य योग्यता है जो आवेदन करने की अंतिम तिथि 02.04.2013तक पूर्ण होनी चाहिए। फलस्वरूप 02.04.2013 तक आरएनसी में पंजीकृत अभ्यर्थियाओं को ही संशोधित अंतरिम (प्रोविजनल) सूची में सम्मिलित किया गया है।

7. संशोधित अंतरिम (प्रोविजनल) सूची बनाए जाने हेतु अंको का निर्धारण–

(A) सर्वप्रथम 10वीं (सैकण्डरी अथवा समकक्ष) एवं एएनएम परीक्षा उत्तीर्ण की सभी अंकतालिकाओं में प्राप्तांको के प्रतिशत को जोडकर उसमें 2 का भाग देकर औसत निकाला गया है।

(B) व्यावसायिक एवं शैक्षणिक योग्यता का 85 प्रतिशत वेटेज रखा गया है। अतः उपरोक्त औसत का 85 प्रतिशत निकालने के लिए औसत को 85 से गुणा कर 100 का भाग दिया गया है। अनुभव के बोनस हेतु अधिकतम 15 प्रतिशत वेटेज रखा गया है।

(C) नीति निर्धारण समिति द्वारा दिनांक 27.05.2015 को लिए गए निर्णय की पालना में ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 02.04.13 के पश्चात् भी कोई अभ्यर्थीया के उपवर्ग (विधवा, परित्यक्ता अथवा निःशक्तजन) में परिवर्तन होने पर उसे उपवर्ग में सम्मिलित करते हुए संशोधित अंतरिम (प्रोविजनल) सूची में सम्मिलित किया गया है।

(D) कुछ अभ्यर्थियाओं द्वारा पीएनआरसी एवं गुरूरविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी होशियारपुर (पंजाब) द्वारा एक ही वर्ष एक ही माह में प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष उत्तीर्ण होने की अंक तालिका प्रस्तुत की है ऐसी स्थिति में प्रथम वर्ष में पूरक मानते हुए न्यूनतम अंको को ही संशोधित अंतरिम (प्रोविजनल) सूची में सम्मिलित करने का आधार माना गया है।

8. बोनस अंक–

(A) माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा याचिका संख्या 9352/2013 द्वारा श्री महेन्द्र कुमार बनाम सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 26.09.2013 की पालना में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवानियम 1965 के नियम 19 के तहत् प्रत्येक एक पूर्ण वर्ष (365 दिवस) की सेवा पर 5, दो वर्ष की सेवा पर 10 एवं तीन वर्ष अथवा तीन वर्ष से अधिक की सेवा पर अधिकतम 15 बोनस अंक दिए गए है।

(B) माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा याचिका संख्या 3622/2013 द्वारा श्री मनोहर सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 29.04.2013 की पालना में विभाग में एनजीओ/प्लेसमेंन्ट एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत संविदा कर्मियों को माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन विशेष अनुमति याचिका के निर्णय के अध्यधीन बोनस अंक दिए गए है।

(C) जिन अभ्यर्थियाओं द्वारा अन्य राज्यों में एनएचएम योजना के तहत संविदा पर कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है उन्हें संबंधित राज्य के परियोजना निदेशक, एनएचएम द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र जो संबंधित राज्य के ही मिशन निदेशक एनएचएम के प्रतिहस्ताक्षरित होने पर ही बोनस अंक दिये जाने के संबध में प्रमुख शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्णय लिया गया है अतः ऐसे अभ्यर्थी जो कि अनुभव के आधार पर संशोधित अंतरिम (प्रोविजनल) सूची में स्थान बनाने में सफल रहे है, को अनुभव का लाभ संबंधित राज्य के एनएचएम मिशन निदेशक / परियोजना निदेशक एनएचएम द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्यधीन संशोधित अंतरिम (प्रोविजनल) सूची में सम्मिलित किया गया है। सत्यापन के पश्चात ही उन्हें अनुभव का लाभ अनुज्ञेय है।

(D) अन्य राज्यों की राज्य सरकार के अधीन कार्यरत संविदा कर्मियों को बोनस अंक नहीं दिये गये है।

(E) जिन अभ्यर्थियाओं द्वारा विभाग में संविदा पर कार्य करने का संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है किन्तु संबंधित संयुक्त निदेशक, जोन कार्यालय द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं किया गया है, उन्हें संबंधित जोन कार्यालय द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र सत्यापन होने की शर्त के आधार पर ही संशोधित अंतरिम (प्रोविजनल) सूची में सम्मिलित किया गया है।

9. विशेष योग्यजन अभ्यर्थियाओं के संबंध में–

जिन अभ्यर्थियाओं द्वारा विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदन किया है एवं साथ में निःशक्तता प्रमाण पत्र संलग्न किया है उन निःशक्तता प्रमाण पत्रों की जांच किए जाने हेतु निदेशालय के आदेश संख्या नर्सिंग/भर्ती कमेटी/ नर्स– 2013/2015/166 दिनांक 12.06.2015 के द्वारा अस्थि रोग विशेषज्ञ की अध्यक्षता में तीन चिकित्सकों की समिति का गठन किया जा कर निःशक्तता प्रमाण पत्रों की जांच कराई जाकर नियमानुसार संशोधित अंतरिम (प्रोविजनल) सूची में शामिल किया गया है।

10. जिन अभ्यर्थियों द्वारा एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन किया है एवं किसी एक आई.डी.क्रमांक पर काउन्सलिंग में उपस्थित हुआ है। काउन्सलिंग में उपस्थित हुये आई.डी.क्रमांक को ही सही माना गया है।

अभ्यर्थी एएनएम के पद पर चयन हेतु संशोधित अंतरिम (प्रोविजनल) सूची की प्रति विभागीय वेबसाईट **www.rajswasthya.nic.in** से प्राप्त कर सकता है। यदि अभ्यर्थी सम्पूर्ण सूची डाउनलोड नहीं करना चाहे तो अभ्यर्थी स्वंय का आवेदन आईडी तथा अपना नाम उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध कॉलम में प्रविष्टी करके स्वंय के बारे में विवरण देख एवं डाउनलोड/प्रिंट ले सकता है।

अभ्यर्थी अपनी परिवेदना/आपत्ति विभागीय वेबसाईट **www.rajswasthya.nic.in** पर उपलब्ध वेबलिंक पर दर्ज करा सकते है। अभ्यर्थी अपनी हस्तलिखित अथवा टंकित परिवेदना/आपत्ति मय संबंधित दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित छांयाप्रति स्केन कर **दिनांक 12.10.2015 रात्रि 12.00 बजे तक संबंधित वेबलिंक पर ऑनलाईन अपलोड** करें, निर्धारित समयावधि पश्चात एवं ऑफलाईन प्राप्त आपत्तियां/परिवेदनाऐं स्वीकार नहीं की जावेगी।

नोटः– इस संशोधित अंतरिम (प्रोविजनल) सूची में जिन अभ्यर्थियाओं के Remarks कॉलम में जो टिप्पणी अंकित की गई है, उसकी पूर्ति के उपरान्त ही अंतिम चयन में सम्मिलित किए जाने पर विचार किया जावेगा।

संलग्न :–

क्रमांक	विवरण	अभ्यर्थियों की संख्या
1	एएनएम भर्ती 2013 में पात्र अभ्यर्थी	14229
2	एएनएम भर्ती 2013 की काउंसलिंग में अनुपस्थित रहने के कारण अपात्र घोषित अभ्यर्थी	903
3	राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में रजिस्ट्रेशन के अभाव में अपात्र अभ्यर्थी	698
4	शैक्षणिक योग्यता की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा मान्यता के अभाव में अपात्र अभ्यर्थी	446
5	निर्धारित तिथि 2.4.13 तक राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीकरण के अभाव में अपात्र अभ्यर्थी	94
6	एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी इन अभ्यर्थियाओं के द्वारा प्रस्तुत अन्य आवेदन पत्र पात्र अभ्यर्थियाओं अथवा अपात्र अभ्यर्थियाओं की सूची में भी सम्मिलित है	1368
7	जिनका रजिस्ट्रेशन राजस्थान नर्सिंग कौंसिल द्वारा निरस्त किया गया है ऐसे अपात्र अभ्यर्थियाओं की सूची	143
	योग	17881

(श्याम लाल गुर्जर)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन),
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः– नर्सिंग/म0स्वा0कार्य0/(सीधी भर्ती 2013)/2015/401 दिनांकः– 5.10.15.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एन0एच0एम0 मुख्यालय ।
4. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान जयपुर ।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश एवं संलग्न सूची को विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करावें।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

5/10/15

(श्याम लाल गुर्जर)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन),
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।